एकीकृत कम लागत सफाई योजना (आईएलसीएस)

मल-मूत्र को सिर पर ढ़ोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रायोजित योजना शहरी कम लागत सफाई की शुरूआत 1981 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा बाद में यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई । 1989-90 से शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चलाई गई (अब शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है) 2003-04 से यह योजना मैनुअल मैलावाहकों को सिर पर मैला ढ़ोने से पूर्ण रूप से मुक्त करने की मार्फत मैलावाहकों की मुक्ति एवं शुष्क शौचालयों को कम लागत में जलशील शौचालयों में बदलने पर बल देती है । इस योजना को " समस्त कस्बा आधार " पर चलाया गया है एवं यह योजना निम्नलिखित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार चरणबद्ध पद्धति में हडको से ऋण एवं केन्द्रीय सरकार से अनुदान को मिश्रित करते हुए हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (हडको) के माध्यम से चलाई जा रही है ।

श्रेणी	अनुदान	ऋण	लाभार्थी अंशदान
ईडब्ल्यूएस	45%	50%	5%
एलआईजी	25%	60%	15%
एमआईजी/एचआईजी	शून्य	75%	25%

दसवीं योजना में 200 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के लिए आबंटित कर दी गई है । दसवीं योजना के दौरान निर्मित/परिवर्तित यूनिटों तथा वर्ष-वार जारी राशि का विवरण नीचे दिया गया है

दसवीं योजना	जारी अनुदान	निर्मित/परिवर्तित यूनिट
2002-2003	4.80 करोड़	194927
2003-2004	4.80 करोड	31993
2004-2005	20.00 करोड़	186316
2005-2006	2.00 करोड़	188052
2006-2007	शून्य	15729
		(30.06.2006 तक)

2006-07 के लिए योजना का आरई 25.00 करोड़ रुपये हैं ।

कम लागत सफाई तथा मैला ढ़ोने वालेां की इस कार्य से मुक्ति संबंधी दिशानिर्देश

भूमिका

मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए शहरी कम लागत सफाई की केन्द्र प्रवर्तित योजना 1980-81 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरु की गई थी जिसे बाद में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया । वर्ष 1989-90 से इस योजना का कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय कर दिया गया है , द्वारा किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शुष्क शौचालयों को कम लागत के जल प्रवाही शौचालयों में बदलना और मुक्त किए गए मैला ढोने वालों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना है । जहां तक मुक्त किए गए मैला ढोने वालों के पुनर्वास का संबंध है, इस घटक का कार्यान्वयन कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य शुष्क शौचालयों को साफ करने के लिए मैला उठाने की प्रथा अथवा खुले में मलत्याग का पूर्णतया उन्मूलन करना तथा स्थानीय स्थितियों के अनुरुप समुचित परिवर्तन के साथ दो पिट वाले जल प्रवाही शौचालयों द्वारा कम लागत के सफाई एककों का परिवर्तन/ निर्माण करना है । इससे मैला ढोने के प्रथा से मुक्ति मिल सकेगी और कस्बों के समग्र सफाई प्रबंध में सुधार होगा । इस प्रकार से मुक्त किए गए मैला ढ़ोने वालों अथवा उनके आश्रितों का राज्य सरकारों द्वारा योजना के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि से अथवा नेहरु रोजगार योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं के साथ पुनर्वास किया जाएगा ।

कस्बों का चयन

विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से कस्बों का चयन उनकी शहरी आबादी तथा मैला ढोने की प्रथा के विस्तार पर निर्भर करता है । उन कस्बों को प्राथमिकता दी जाती है जहां बडी संख्या में खुले में मलत्याग होता है अथवा बड़ी संख्या में मैला ढोने वाले रहते हैं । वे कस्बे जो पहले से ही आई डी एस एम टी, गंगा परियोजना के लिए अथवा हडको द्वारा समग्र नगर आधार पर वित्त प्रबंध अथवा कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले की योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए विचाराधीन हैं, उपयुक्तत: शामिल किए जाएंगें । यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक की आबादी वाले छोटे व मझोले कस्बों में लागू है ।

पात्रता:-

यह योजना " समग्र नगर " आधार पर लागू है । कार्यक्रम शुरु करने के लिए प्रस्ताव संबंधित शहरी स्थानीय निकाय अथवा राज्य सरकार द्वारा यथावत् प्राधिकृत संगठन जैसे आवास बोर्ड, स्लम सुधार बोर्ड, विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास,जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, छावनी बोर्ड आदि द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं । संबंधित शहरी स्थानीय निकाय / संगठन को आदर्श उपनियमों के अनरुप अपने कस्बे में मैला ढोने की प्रथा का निषेध करते हुए उप नियमों को संशोधित करने हेतु एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा । इन उप-नियमों में यह प्रावधान होगा कि नियामक कार्रवाई तथा नए निर्माण /

परिवर्तन हेतु सहायता देकर सभी परिवारों द्वारा सेनिटरी शौचालयों की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकायों द्वारा कार्रवाई की जाएगी ।

लाभार्थियों का चयन

इस योजना में वे सभी परिवार शामिल हैं जहां शुष्क शौचालय विद्यमान हैं तथा जहां कोई भी सफाई सुविधा नहीं है जिसमें स्लमों व अनधिकृत कालोनियों के परिवार भी शामिल हैं ।

वित्त प्रबंध

वर्तमान योजना के अंतर्गत, योजना की स्वीकृति के बाद से लेकर उप-संरचना के निर्माण तक हडको द्वारा ऋण तथा सब्सिडी साथ-साथ उपलब्ध कराई जाती है । इस प्रयोजनार्थ, हडको के माध्यम से केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है । ऋण और सब्सिडी का अनुपात लाभार्थियों की आय पर निर्भर है ताकि केवल निम्न आय वर्गों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सके । निम्नलिखित वित्त प्रबंध अपनाया जा रहा है :-

ई डब्ल्यू एस- 45% सब्सिडी, 50% ऋण और 5% लाभार्थी अंशदान

निम्न आय वर्ग- 25% सब्सिडी, 60% ऋण और 15% लाभार्थी अंशदान

मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग- शून्य सब्सिडी, 75% ऋण तथा 25% लाभार्थी अंशदान

यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सब्सिडी उपरोक्तानुसार सीमित है । यदि राज्य सरकार चाहे तो लाभार्थियों का भार कम करने के लिए लाभार्थी अंशदान अथवा ऋण घटक के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा सकती है । योजना के तहत हडको ऋण तथा केन्द्रीय अनुदान हडको क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दिया जाता है ताकि वास्तविक प्रगति और व्यय के अनुरुप कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित किश्तों में उपरोक्त अनुपात में ऋण तथा सब्सिडी साथ-साथ उपलब्ध कराए जा सकें । हडको ऋण 7 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 10% ब्याज पर दिया जाता है । ऋण लेने वाली एजेंसियों को लाभार्थियों से ऋण की समय पर वसूली सुनिश्चित करनी होगी । कार्यान्वयन की पद्धति मॉडल उप नियमों में बताई गई है । इस योजना में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है और वसूली में महत्वपूर्ण सहायता भी ली जा सकती है । शहरी मूल सेवा कार्यक्रम के लिए चुनी गई नगरपालिकाओं की सामुदायिक विस्तार इकाइयों का उपयोग समुदाय को प्रोत्साहित करने और तकनीकी सहायता के लिए भी किया जा सकता है ।

व्यक्तिगत शुष्क शौचालयों के परिवर्तन अथवा व्यक्तिगत सेनिटरी शौचालयों के निर्माण के अलावा शहरी आबादी के निर्धनतम वर्गों के रिहायशी क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक उपयोग जैसे बस स्टैंड, मार्किट आदि में " भुगतान एवं उपयोग " आधार पर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों को ऋण दिए जा सकते हैं । इनका परिचालन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाएगा । जिन क्षेत्रों में स्थानाभाव के कारण व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण संभव न हो और जिसके कारण वहां खुले में मलत्याग का खतरा हो, उन स्लमों, रिहायशी क्षेत्रों/ चॉल में सांझे शौचालयों का निर्माण भी योजना के

अंतर्गत शामिल किया जा सकता है । ऐसे क्षेत्रों में खुले में मलत्याग रोकने के लिए उपरोक्त ऋण व सब्सिडी घटक के साथ नए शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है ताकि मैला ढ़ोने वालों की जरुरत न पड़े ।

यह देखा गया है कि कम लागत सफाई के लिए हडको ऋण प्राप्त करने में स्थानीय निकायों की मुख्य बाधा सरकारी गारंटी प्राप्त करना है । चूंकि शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गारंटी प्रणाली को हटाया नहीं जा सकता है अत: सुझाव है कि राज्य सरकार ब्लॉक गारंटी जारी करने की प्रणाली शुरु कर सकती है जैसा कि कुछ राज्य सरकारों (जैसे महाराष्ट्र) द्वारा पहले किया गया है ।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए हडको में एक अलग सैल स्थापित किया गया है । हडको के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के कार्यान्वयन में सहायता देते हैं । राज्य सरकारों द्वारा चुने गए स्थानीय निकाय अथवा ऋण लेने वाली एजेंसियां कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजते हैं ।

समन्वयन तथा मानीटरिंग समिति

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा तत्पश्चात शामिल किए जाने वाले कस्बों के चयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक समन्वयन समिति है जिसमें कल्याण मंत्रालय तथा हडको के प्रतिनिधि शामिल हैं । हडको द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय/ प्राधिकृत एजेंसी को आवधिक किश्तों में ऋण तथा सब्सिडी स्वीकृत की जाती है और निष्पादन की वास्तविक प्रगति की मानीटरिंग की जाती है । इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती हैं । चूंकि इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है अत: राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निर्धारित से अधिक लागत व समय न लगे और राज्य व स्थानीय स्तर पर कड़ी मानीटरिंग की जाए ।

राज्य समन्वयन समिति

राज्य समन्वयन समिति में सामाजिक कल्याण संबंधी विभाग सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं ताकि योजना की मानीटरिंग, तथा मुक्त किए गए मैला ढोने वालों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके ।

विलंब और समन्वयन की समस्या को कम करने के लिए, राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी और हडको ऋण प्रदान करने के लिए समिति के रुप में पंजीकृत किसी छोटे सैल अथवा मौजूदा संस्थान को प्राधिकृत कर सकती है । मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्लम उन्मूलन बोर्ड को सम्पूर्ण राज्य के लिए नोडल एजेंसी नामित किया है । सरल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा इसी प्रकार की एजेंसियों को प्राधिकृत / स्थापित किया जा सकता है ।

पुनर्वास

मैला ढोने वालों की मुक्ति योजना का भाग होने के कारण यह आवश्यक है कि मैला ढोने वालों के पुनर्वास की योजना को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए और इसका कार्यान्वयन साथ-साथ किया जाए । कार्यान्वयन एजेंसी मुक्त किए गए मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की सूची राज्य समन्वयन समिति को भेजेगी जिसमें उनकी सामाजिक ,शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का विवरण होगा । कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्षेत्रों और अपेक्षित दक्षता के अनुरुप पुनर्वास योजना की सिफारिश की जाएगी । इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/ संस्थानों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । राज्य समन्वयन समिति कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भेजी गई पुनर्वास योजनाओं पर निर्णय लेगी और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं पर विचार करेगी । हडको द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनर्वास पक्ष को अनदेखा न किया जाए । यदि केन्द्रीय सहायता देना आवश्यक हो तो मंत्रालय अथवा कल्याण मंत्रालय के पास पुनर्वास के लिए उपलब्ध धनराशि के लिए अथवा नेहरु रोजगार योजना के अंतर्गत वित्त प्रबंध के लिए मानीटरिंग समिति को सिफारिश की जा सकती है ।

अनुलग्नक

शौचालयों के निर्माण , संचालन, अनुरक्षण और स्वामित्व के नियमन हेतु मानक उप-नियमों का प्रारूप

(राज्य) नगर पालिका अधिनियम,..वर्ष............................ की धारा.................................में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए.,..................................(कस्बे) की नगर पालिका बोर्ड एतद्द्वारा, अपने क्षेत्रों में फ्लश युक्त शौचालयों के निर्माण, अनुरक्षण निगरानी और स्वामित्व नियमन हेतु निम्नलिखित उप-नियम बनाता है :

उप-नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रवर्तन

(i) इन उपनियमों को .... (कस्बा) नगर पालिका बोर्ड शौचालय उपनियम कहा जाएगा

(ii) ये उपनियम .... के संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र पर लागू होंगे ।

(iii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि के तीन महीने के बाद से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें

(i) ' नगर पालिका बोर्ड' के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी और नगर पंचायत शामिल हैं ।

(ii) 'कार्यकारी अधिकारी ' के अन्तर्गत आयुक्त, प्रधान अधिकारी और सचिव शामिल हैं ।

(iii) 'शौचालय' या' निजी शौचघर' का आशय ऐसे स्थान पर खड़े किए गए ढांचों या उनके अंदर संडास पात्रों आदि की व्यवस्था हो, से है, जहां मल त्याग के लिए अलग व्यवस्था की गई हो, और इसमें शुष्क शौचालय, जलवाही शौचालय तथा ढक्कनदार शौचालय शामिल हैं ।

(iv) 'शुष्क शौचालय' का अर्थ ऐसे शौचालय से है जिसमें बाल्टी आदि किसी पात्र में या किसी गर्त्त में मल त्याग की व्यवस्था की गई हो और जिसकी सफाई की जाती हो ।

(v) 'जल युक्त शौचालय' का अर्थ ऐसे शौचालयों से है जिसमें 20 मि0मी0 तक पानी भरा होता है और जिसमें मल को पानी फ्लश करके ऊपर से डालकर बहा दिया जाता है । विभिन्न प्रकार के जलयुक्त फ्लश शौचालय की किस्म, ढांचे और विशिष्टियां इन उपनियमों की अनुसूची के अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निर्धारण के अनुसार होगीं ।

3. शौच सुविधाओं के बारे में रजिस्टर तैयार करना

कार्यकारी अधिकारी परिवारों का रजिस्टर रखेगा जिसमें शौचालय सुविधाओं की वर्तमान स्थिति, उनकी किस्म और प्रयोक्ताओं की संख्या, इत्यादि, जहां ऐसी सुविधायें हों ; के बारे में यथा विहित प्रपत्र में सूचना होगी । इस बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कार्यकारी अधिकारी मांग पत्र जारी करके मकान के मालिक या परिवार मुखिया से निर्धारित अवधि में वैसी जानकारी लेगा और मकान के मालिक या उसमें बसे हुए परिवार के मुखिया को वह जानकारी देनी होगी ।

4. नये शौचालयों का निर्माण

इन उप-नियमों के प्रभावी होने के बाद :

(i) किसी भी व्यक्ति द्वारा शौचालय का निर्माण उप-नियमों में वाटर सील टाइप, डिजाइन और विशिष्टियों के अनुसार विहित किया जाएगा ;

(ii) आवासीय भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसमें कम से कम एक वाटर सील शौचालय का निर्माण करना होगा;

(iii) प्रत्येक घर में कम से कम एक वाटर सील शौचालय अवश्य होगा और यदि घर के सदस्यों की संख्या 10 से अधिक है तो उसमें कम से कम दो शौचालय अवश्य होंगे ; और

(iv) मकान नक्शे में किसी प्रकार के परवर्ती निर्माण या परिवर्तन या परिवर्द्धन की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी तथा कोई भी भवन इमारत मानवीय वास के लिए तब तक पूर्ण और वास योग्य नहीं मानी जायेगी जब तक कि वाटर सील शौचालय और शुष्क शौचालयों के लिए प्रावधान न किये गये हों, यदि कोई शौचालय तोड़ दिया जाता है लेकिन घर में प्रयोक्ताओं की संख्या 10 से अधिक हो तो कम से कम दो वाटर सील शौचालयों का प्रावधान किया जायेगा ।

5. शौचालयों की अवस्थिति

(i) विद्यमान हैंड पंप या कुएं से 8 मी के क्षेत्र में मल के निपटान हेतु कोई विक्षालन गर्त नहीं खोदा जायेगा वशर्ते कि कार्यकारी अधिकारी की संतुष्टि के लिए विशेष पूर्वोपायी उपाय न किए गये हों। तथापि, 1 मि0मी0 से कम आकार की दानेदार मिट्टी में और जहां भूमिगत जल का स्तर वर्ष भर गर्त से 2 मी से अधिक नीचे रहता हो, वहां पेय जल के स्रोतों से 3 मी की दूरी तक विक्षालन गर्त खोदे जा सकते हैं;

(ii) विक्षालनगर्त भवन के परिसरों में ही तैयार कराये जायेंगे जहां शौचालय के निर्माण या रूपान्तरण का प्रस्ताव है:- जहां यह संभव नहीं है वहां गर्त फुट पाथ, सड़क या गली के नीचे तैयार कराये जा सकते है । इस सुविधा के निर्धारण का अंतिम अधिकार नगर पालिका बोर्ड का होगा और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । सड़क, गली, फुटपाथ के नीचे विक्षालन गर्त तैयार करने की अनुमति केवल कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तभी दी जा सकेगी जब वह इस बात से पूर्णतः संतुष्ट होगा कि इन गर्तों को भवन-परिसरों में तैयार करना संभव नहीं है; और

(iii) यदि प्रक्षालित जल गर्त, सड़क, गली या फुटपाथ के नीचे रखे जाते हैं तो शौचालय तली को गर्त से जोड़ने वाले पाइप का अपवर्त्तन स्तर भूमि तल से कम से कम 1.1 मीटर नीचे अथवा गर्तों से 3 मीटर की दूरी पर मौजूद बड़े जल पाइप की तली के नीचे, जो भी अधिक हो, होगा ।

6. चरणबद्ध शौचालय कार्यक्रम

इस बावत, नगर पालिका बोर्ड एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएगा जिसमें मकान मालिकों या मकान वासियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वर्तमान शुष्क/ बाल्टी शौचालयों को आवश्यकता के अनुरूप वॉटर सील शौचालयों में परिवर्तित करने और विभिन्न वार्डों के सभी परिसरों में वाटर सील शौचालय बनाने के लिए अपेक्षा

7. शौचालयों के निर्माण / बदलाव के लिए नोटिस

कार्यकारी अधिकारी मकान मालिकों या मकानवासियों को एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें नोटिस तामील होने की तारीख से तीन महीने के अंदर विशिष्टियों के अनुसार एक या अधिक वाटर सील शौचालय रहित परिसरों में शौचालय बनाने या अपर्याप्त शौचालय वाले घरों में अतिरिक्त शौचालय बनाने और /या वर्तमान शुष्क शौचालय को वाटर सील शौचालय में परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा। मकान मालिक या मकान वासी के अनुरोध पर, कार्यकारी अधिकारी द्वारा 3 माह की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि यदि ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त उचित कारण दर्शाये जायें। किन्तु शर्त यह भी है कि ऐसी कुल अवधि नोटिस तामील होने की तारीख से 6 माह से अधिक नहीं होगी।

यदि इन उप-नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्टि के अनुसार, स्थानाभाव के कारण नया शौचालय बनाना या पुराने शौचालय का रूपान्तरण संभव नहीं है तो मकान मालिक या मकान वासी इसकी सूचना नगर पालिका बोर्ड को देगा किन्तु उपर्युक्त संभाव्यता के निधार्रण का अंतिम अधिकार नगर पालिका बोर्ड का होगा और बोर्ड का निर्णय मकान मालिक या मकान वासी के लिए अंतिम और बाध्यकर होगा।

8. वाटर सील शौचालयों के निर्माण के लिए लाइसेंसशुदा ठेकेदार

नगर पालिका बोर्ड उन तकनीशियनों, ठेकेदारों और प्लम्बरों (जो प्रशिक्षित हैं और नगर पालिका बोर्ड के विचार में निर्धारित विशिष्टताओं, प्रकार और डिजायन इत्यादि के अनुरूप वाटर सील शौचालयों का निर्माण करने में सक्षम हैं) को पर्याप्त संख्या में 25 रू० के लाइसेंस शुल्क की अदायगी पर लाइसेंस जारी करेगा और नगर पालिका बोर्ड वाटर सील शौचालयों के निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की सुविधा के लिए इसका रजिस्टर रखेगा।

लाइसेंसशुदा ठेकेदारों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को वाटर सील शौचालयों के निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। नगर पालिका बोर्ड और लाइसेंसशुदा ठेकेदारों के बीच एक करार निष्पादित किया जायेगा जिसमें संगत नियम और शर्तें विहित होंगी; तथा इन ठेकेदारों को आवश्यक जमानत राशि नगर पालिका बोर्ड के पास जमा करनी होगी।

9. आवेदन पत्र तथा अन्य कार्यवाही

(i) शौचालय निर्माण या पुराने शौचालय को बदलने के इच्छुक व्यक्ति को मंजूरी के लिए निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन नगर पालिका बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित शौचालय के टाइप, डिजायन और विशिष्टताओं के बारे में सभी आवश्यक ब्यौरे दर्शाए गए हों और शौचालय की अवस्थिति, विक्षालन गर्त इत्यादि की भी जानकारी दी गई हो। लाइसेंसशुदा ठेकेदार आवेदन को प्रस्तुत करने और मंजूरी दिलाने में आवेदक की सहायता करेगा। आवेदन और प्रस्ताव सही पाये जाने पर, नगर पालिका बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जायेगी और प्रयुक्त किए जाने वाले सामान और विशिष्टताओं की एक सूची आवेदक को दे दी जायेगी, बशर्ते कि आवेदक जुड़वां विक्षालन गर्तों सहित फ्लश वाटर सील शौचालय का निर्माण कर रहा हो।

(ii) यदि कोई व्यक्ति वर्तमान शुष्क, जमीनी, बाल्टी वाले या बोरहोल शौचालय को बदलना चाहता है या मल विसर्जन स्थल पर एक नये वाटर सील शौचालय का निर्माण करना चाहता है और इसके लिए

वह वित्तीय सहायता चाहता है तो उसे, नगर पालिका बोर्ड द्वारा अधिसूचित गृह स्वामियों को वित्तीय सहायता की योजना के अनुसार, नगर पालिका बोर्ड के साथ एक करार करना होगा । वित्तीय सहायता ऋण या ऋण व अनुदान के मिश्रित रूप में होगी । अनुदान निर्धारण के मानदंड तथा वित्तीय सहायता और ब्याज सहित ऋण की वसूली की शर्तें व निबंधन समय-समय पर अधिसूचित किए जाएंगे ।

(iii) लाइसेंसशुदा ठेकेदार मंजूर किए गये शौचालय का निर्माण निर्धारित डिजाइन, ड्राइंग और विशिष्टीकरण के अनुसार नगर पालिका बोर्ड और मकान मालिक या उसमें अधिवासी की संतुष्टि के लिए करेगा।

(iv) शौचालय के निर्माण के बारे में ठेकेदार द्वारा प्रमाण-पत्र देने के बाद और नगर पालिका बोर्ड और मकान मालिक या अधिवासी के निर्माण से संतुष्ट होने पर नगर पालिका बोर्ड द्वारा ठेकेदार को भुगतान राशि जारी की जाएगी । मकान या अधिवासी को शौचालय के उपयोग, निर्माण और निगरानी के बारे में अनुदेश और दिशानिर्देश की पुस्तिका के अलावा विस्तृत अनुदेश और दिशानिर्देश दिए जाएंगे।

(v) निर्मित शौचालय को हवादार बनाने के लिए दीवारों की ऊंचाई पर रोशनदान बनाया जाएगा । यदि रोशनदान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना हो तो शौचालय का निर्माण करने वाले व्यक्ति को नगर पालिका बोर्ड, धन उपलब्ध होने पर, शर्तों व निबंधनों बावत करार किए जाने के बाद वित्तीय सहायता देगा ।

(vi) जो व्यक्ति मकान का निर्माण या पुनर्निर्माण करता है, शौचालय निर्माण के लिए उसे नगर पालिका बोर्ड से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, और ;

(vii) जिस व्यक्ति ने शौचालय या उसकी दीवारों में ऊपर की ओर रोशनदान के निर्माण के लिए ऋण प्राप्त किया है तो उसे उस ऋण की ब्याज सहित अदायगी वित्तीय सहायता योजना विनियमन के तहत नगर पालिका बोर्ड द्वारा निर्धारित किश्तों में करनी होगी । ऐसा न करने पर वसूली के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी ;

(क) पिछली ऋण किश्त आदायगी की तारीख से बकाया ऋण राशि के भुगतान की तारीख तक ब्याज की दर में वर्तमान बैंक ऋण ब्याज पर कम से कम 5% वृद्धि की जायेगी ।

(ख) ऋण वापसी में विफल होने पर बकाया ऋण की दण्डात्मक ब्याज सहित वसूली नगर पालिका अधिनियम........... की धारा .... में कर वसूली प्रावधान के अनुसार दोषी व्यक्ति के सामान को जब्त करके, अथवा जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत भूराजस्व के रूप में की जायेगी।

(ग) यदि दोषी व्यक्ति के घर में जल पाइप लाइन है तो उसे काटा जा सकता है ।

(घ) किराएदार से उगाही की जाएगी जो उसकी कटौती मकान मालिक को दिए जाने वाले किराए से करेगा।

(ङ.) यदि कोई बकायादार मकान मालिक अपने मकान में न रहकर दूसरे मकान में रह रहा है तो जिस मका में वह रह रहा है और वह मकान यदि नगर पालिका की सीमा में आता है तो उसका पानी का कनक्शन का दिया जाएगा ।

10. शुष्क शौचालयों को नष्ट करना:

जलरुद्ध शौचालयों के निर्माण के पश्चात यदि घरों में (जहां जलरुद्ध शौचालयों का निर्माण कर दिया गया है) शुष्क शौचालय है तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

11. निगम बोर्ड द्वारा भुगतान आधार पर कार्य का निष्पादन:

यदि मालिक अथवा कब्जाधारी जिसके खिलाफ उक्त उपनियम सं0 7 के तहत नोटिस जारी किया गया है, निर्धारित समय के भीतर इस नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत की जाने वाली किसी भेदभाव पूर्ण कार्यवाही के बिना कार्यकारी अधिकारी नोटिस के अनुसार विभाग अथवा किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार के जरिए शौचालय का निर्माण कराएगा अथवा उसे बदलावाएगा, जो भी मामला हो, और...........नगर निगम अधिनियम........(वर्ष) की धारा.........के तहत दोषी से उक्त..........कार्य पर हुए व्यय की वसूली करेगा।

12. शौचालयों का रखरखाव:

मालिक अथवा कब्जाधारी द्वारा जलरुद्ध शौचालयों का समुचित रखरखाव किया जाएगा और इन्हें स्वच्छ अवस्था में रखा जाएगा। सैप्टिक टैंक सोक पिट, लीच पिट इत्यादि में मौजूद मल को मालिक अथवा कब्जेधारी द्वारा किसी निजी एजेन्सी अथवा नगरपलिका बोर्ड के जरिए अपनी लागत पर समय-समय पर खाली करवाएगा। नगरपलिका बोर्ड इस उद्देश्य के लिए तथा मल को हटाने और/या खाली करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष दस्ता बनाएगा। लीचपिट भरने के पश्चात उपयोग न होने के बाद केवल दो वर्षों के बाद साफ करवाए जाएगें। यदि नगरपालिका मालिक या कब्जेधारी के अनुरोध पर बिना किसी लागत के लीचपिट को साफ करवाती है तो खाद, नगरपालिका की सम्पत्ति होगी और इस पर मालिक या कब्जेधारी कोई दावा नहीं करेगा।

13. उल्लंघन करने पर दण्ड:

कोई व्यक्ति उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो वह 1000/-रु0 तक के जुर्माने का भागीदार होगा।

राज्य का नाम

..............................माह अंत तक विकास रिपोर्ट

प्रपत्र I

भारत सरकार को भेजी गई स्कीम और तारीख	भारत सरकार द्वारा वर्णित सं0 और कस्बों की सं0	उन कस्बों के नाम जहां हडको को स्वीकृति के लिए आवेदन भेजे गए	हडको द्वारा स्वीकृत स्कीमों की सं0
1	2	3	4

प्रपत्र I

उन कस्बों की सं0 जिनके लिए हडको द्वारा ऋण और अनुदान स्वीकृत किया गया	कस्बावार स्वीकृत धनराशि	परिवर्तन किए जाने वाले शुष्क शौचालयों की संख्या	भौतिक विकास			मुक्त किए गए मैला ढोने वाले
			(क) 50%पूर्ण	(ख) कार्य शुरु किया गया	(ग) कार्य शुरु किया जाना है	
1	2	3	4	5	6	7